झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1138 वर्ष 2017

श्री भूषण प्रधान, पे0 दीपक प्रधान, निवासी–डूटेरिया, टी0 एस्टेट, डाकघर–डूटेरिया, थाना–जोरबंगलो, जिला–दर्जिलिंग (बंगाल), वर्तमान में जे0ए0पी0–I, डोरंडा, डाकघर–डोरंडा, थाना–डोरंडा, जिला–रांची .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. पुलिस महानिदेशक–सह–पुलिस महानिरीक्षक, रांची जिसका कार्यालय पुलिस हाउस, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची में है।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, झारखंड सशस्त्र पुलिस, रानी कोठी, डोरंडा, डाकघर और थाना–डोरंडा, जिला–रांची में है।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक, झारखंड सशस्त्र पुलिस, रांची जिसका कार्यालय रानी कोठी, डोरंडा, डाकघर और थाना–डोरंडा, जिला–रांची में है।
5. समादेष्टा, झारखंड सशस्त्र पुलिस सं0 1, डोरंडा, रांची, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–रांची .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री प्रदीप कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री चंचल जैन, ए0ए0जी0 का जे0सी0

03/06.03.2017 रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता ने, अन्य बातों के साथ, झारखंड सशस्त्र पुलिस सं0 1 में तैनात ड्राइवर कांस्टेबल–1120 को पद से कार्यमुक्त करने और विभागीय कार्यवाही संख्या 47/2009 में कमांडेंट, झारखंड सशस्त्र पुलिस नं0 1 रांची द्वारा पारित 26.

02.2010 (अनुलग्नक–3) के आदेश को रद्द करने और साथ में सभी परिणामिक लाभों के साथ सेवा की बहाली के लिए प्रार्थना की है।

2.. याची के विद्वान वकील निवेदन करते हैं कि दिनांक 26.02.2010 के अनुलग्नक–3 के द्वारा बर्खास्तगी के आदेश से व्यथित होकर याची ने प्रत्यर्थी सं0 4, पुलिस उप महानिरीक्षक, झारखंड सशस्त्र पुलिस, रांची के समक्ष एक अपील (अनुलग्नक–4) लगभग पाँच साल के अंतराल के बाद 14.12.2015 को प्रस्तुत की है। याची के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यदि प्रत्यर्थी सं0 4, पुलिस उप महानिरीक्षक, झारखंड सशस्त्र पुलिस, रांची को कानून के अनुसार याची द्वारा की गई अपील का निपटान करने के लिए एक निर्देश जारी किया जाएगा, तो याची की शिकायत का निवारण हो जाएगा।

3. श्री चंचल जैन, ए0ए0जी0 के विद्वान जे0सी0 ने प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित होते हुए निवेदन किया कि पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् याचिकाकर्ता द्वारा अपील दायर किया गया है। प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान वकील, आगे प्रस्तुत करते हैं कि मामले की योग्यता पर विचार करते समय, अपील की परिसीमा के प्रश्न पर अपील प्राधिकारी द्वारा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि, वह कानून के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटान के लिए आपत्ति नहीं करते हैं।

4. संबंधित वकीलों के निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटान प्रत्यर्थियों को एक निर्देश के साथ और विशेष रूप से प्रत्यर्थी सं0 4, पुलिस उप महानिरीक्षक,

झारखंड सशस्त्र पुलिस, रांची को याचिकाकर्ता की अपील पर, यदि अभी भी लंबित है, तो आठ सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उसकी गुणागुण के आधार पर विचार करने के लिए किया जाता है। यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि इस न्यायालय ने मामले की योग्यता पर विचार नहीं किया है और अपीलीय प्राधिकारी को मामले की योग्यता के अलावा परिसीमा के प्रश्न पर विचार करने की स्वतंत्रता है।

5. उक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)